

25/02/25

पञ्जावली पेशा / अधिवक्ता प्रतिवादी अनुपल्मिता  
वादी अनुपल्मिता  
विरुद्ध उपरोक्त हेतु पञ्जावली आरम्भ  
दिनांक 12/3/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

12/3/25

पञ्जावली पेशा हुई 11 व सील वादी अनुपल्मिता  
व सील प्रतिवादी (अनुपल्मिता) व सील प्रतिवादी के  
अपने पञ्जावली मय शपथपत्र तथा पञ्जावली  
को ही राज्य प्रतिवादी के रूप में माना  
जाये के रूप में किमें। अन्य राज्य प्रतिवादी  
प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। राज्य प्रतिवादी  
जैसे की जाती हैं व सील वादी को वाद-वात  
कर कर कर आवाजें दिलवाई गई। अनुपल्मिता  
अनुपल्मिता रहे। वही व सील प्रतिवादी की  
सुनी गई। पञ्जावली वादी आदेश सुनने  
आदेशों दिनांक 21/3/25 को पेश हो

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर

21/3/25

पञ्जावली पेशा हुई। व सील वादी अनुपल्मिता।  
व सील प्रति. अनुपल्मिता पञ्जावली मय इतरावेजात  
का अवलोकन किया गया। वाड-पत्र एवं  
पञ्जावली मय इतरावेजात का स्थानपूर्वक  
अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि उ प्रावधानों  
का अवलोकन किया गया। उपर्युक्त विवेचन  
के आधार पर वादी का वाड बरूदी  
साबित न होने व सादर होने होने से

खारिज/अन्वीकार किया जाता है। तदनुसार  
डिस्ट्री पन्ची जाती है जो इस निर्णय का  
भाग होगा। विस्तृत निर्णय पृष्ठ ५ के लिखवाण  
जानकर शामिल मिलता है। पत्रावली के  
सुमार होकर नम्बर के रूप होकर दाखिल  
किया है।

19/5  
महामहोदय  
जिला जज  
जयपुर

